राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं. 115/2023 जीसीएमएस नम्बर – 2023/477

प्रेमदेवी पुत्री देवाराम पत्नी धर्मपाल उम्र 57 साल जाति जाट निवासी भिर्र तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

.....प्रार्थीया

ब–ना–म

1. भतेरी पुत्री देवाराम पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी चिडालिया तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़, हरि0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री रामस्वरूप यादव – प्रार्थीया की ओर से
2. श्री महाबीर प्रसाद – अप्रार्थीया सं. 1 की ओर से

:: निर्णय :: दिनांक 28 –08–2023

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम बुहाना तहसील बुहाना स्थित हाल जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के खाता संख्या नया 726 तथा पुराना खाता संख्या 633 के खसरा नंबर 1427 रकबा 2.38 है. के खातेदार काश्तकार प्रार्थीया का हिस्सा 2/3 व अप्रार्थी सं. 1 का हिस्सा 1/3 संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। देवाराम पुत्र स्व. श्री रूपाराम जाति जाट निवासी भिर्र तहसील बुहाना का निवासी था स्वयं अर्जित भूमि का एक मात्र खातेदार काश्तकार था उसके कोई पुत्र संतान नहीं थी उसके चार पुत्रियां ही थी उसने दिनांक 16.07.1987 को एक वसीयतनामा अपने जीवनकाल में ही उप पंजियक खेतड़ी में तस्दीक करवाया था। स्व. देवाराम के चार पुत्रियां शांतिबाई, भतेरी, निर्मला तथा प्रेम है जिसमें शांति पुत्री देवाराम पत्नी श्री रमेश कुमार तथा प्रेम पुत्री देवाराम पत्नी श्री धर्मपाल जाति जाटान निवासीगण कारोता तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़, हरियाणा की पुत्रियां स्व. देवाराम के पास भिर्र में रहती थी यह दोनों पुत्रियां ही स्व. देवाराम के जीवनकाल में सेवा करती थी तथा देवाराम की दो अन्य पुत्रियां भतेरी व निर्मला दोनों अपनी ससुराल रहती हैं। स्व. देवाराम के पास दो ही पुत्रियां रहती थी जो स्व. देवाराम जीवति रहा तब तक उसकी सेवा चाकरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.09.22 12:31:27 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

कर उसके अंतिम संस्कार आदि दोनों पुत्रियों ने ही किया था जिसमें शांति बाई स्व. देवाराम की मृत्यु के बाद अपनी ससुराल चली गई अकेली मात्र प्रेम ही गांव भिर्र में रही तथा स्व. देवाराम की खातेदारी भूमि में कब्जा काश्त करती रही है। देवाराम का निधन हो जाने पर ग्राम बुहाना स्थित भूमि खसरा नंबर 1427 रकबा 2.38 है. का फौत नामांतरकण गलत दर्ज हो गया जिसमें भतेरी पुत्री देवाराम का नाम गलत दर्ज कर दिया जबकि वसीयतनामा देवाराम ने शांति बाई तथा प्रेम के नाम ही तस्दीक करवाया था। सवयं देवाराम के चार पुत्रियां थी फौत नामांतरकरण राजस्व कर्मचारियों को स्व.देवाराम के वारिशान के नाम नामांतरकरण दर्ज होना चाहिए था या फिर वसीयतनामा के अनुसार शांति बाई व प्रेम के नाम ही नामांतरकरण दर्ज किया जाना चाहिए था जिसमें भतेरी हिस्सा 1/3 गलत दर्ज किया गया है। स्व. देवाराम की स्वयं अंर्जित खरीदशुदा भूमि थी जिसे विधि अनुसार वसीयतनामा उप पंजीयक, खेतड़ी तस्दीक करवाया था जो वसीयतनामा अपनी दोनों पुत्रियों शांति बाइ तथा प्रेम का नाम ही वसीयत है इन दोनों के नाम उत्तराधिकार अनुसार नामांतरकरण दर्ज होना चाहिए था जिसमें भतेरी का हिस्सा 1/3 गलत दर्ज हो गया है उसका नाम हजफ किया जावे तथा प्रेम व शांति बाइ का ही नामांतरकरण दर्ज होना चाहिए और दोनों ही स्व. देवाराम के जीवनकाल तक दोनों कब्जे काश्त रही है। उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थीया अपना दर्ज हिस्सा 2/3 भाग का प्रार्थीया का 2/3 हिस्सा दर्ज है और अप्रार्थीया सं. 1 का 1/3 हिस्सा दर्ज है जबकि प्रार्थीया जन्म से उक्त भूमि पर कब्जे काश्त है। अप्रार्थी सं. 1 राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज होने से वह हिस्सा का बेचान रहन करने से प्रार्थीया को भारी हकतलफी है जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी का यह प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है। इसलिए प्रार्थीया को यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी सं. 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थीया की खातेदारी कब्जे काश्त कृषि भूमि ग्राम बुहाना के ख.नं. 1427 रकबा 2.38 है. भूमि का बेचान व रहन नहीं करें और ना ही प्रार्थीया के काश्त में किसी प्रकार की बाधा कारित करे अप्रार्थी सं. 1 को पाबन्द किया जाने के आदेश देने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीया सं. 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.09.22 14:31:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

को अस्वीकार कर अपने जवाब में कथन किया है कि ग्रमा बुहाना स्थित भूमि हाल खाता संख्या 655 के खसरा नंबर 1427 रकबा 2.38 है. में प्रार्थीया का हिस्सा 2/3 भाग तथा अप्रार्थीया सं. 1 का 1/3 भाग दर्ज रिकार्ड है। लेकिन अप्रार्थी सं. 1 का हिस्सा गलत दर्ज होना अस्वीकार है। अप्रार्थीया सं. 1 का उक्त वर्णित भूमि में 1/3 हिस्सा सही दर्ज है क्योंकि उपरोक्त वर्णित भूमि पैतृक भूमि है जो प्रार्थीया व अप्रार्थीया सं. 1 के दादा स्व. रूपाराम पुत्र हेमराज जाट की खातेदारी में उनके नाम जमाबन्दी संवत् 2012 से ही दर्ज रिकार्ड है जो स्व. रूपाराम को जरिये इंतकाल नंबर 39 दिनांक 01.08.1960 द्वारा प्राप्त हुई है। इस प्रकार उक्त भूमि प्रार्थीया व अप्रार्थीया सं. 1 के पिता स्व. देवाराम पुत्र रूपाराम को विरासत में प्राप्त हुई है तथा स्व. देवाराम के फौत होने पर उक्त भूमि प्रार्थीया व उसकी बहिन अप्रार्थीया सं. 1 तथा एक अन्य बहिन शांति देवी पुत्रियांन देवाराम को जरिये विरासतन इंतकाल संख्या 1344 दिनांक 06.01.2003 से उन्हें प्राप्त हुई है जो उन्हें कानून सम्मत प्राप्त हुई है। वर्तमान में प्रार्थीया ने वाद वर्णित भूमि में दर्ज हिस्से का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के श्रीमती कमला पत्नी मनोज कुमार, सुमन पत्नी महिपाल, सुमित्रा पत्नी अंतर सिंह व सरोज पत्नी रामसिंह जाति जाट निवासी भिर्र को कर दी है। जिनके नाम उक्त विक्रय पत्र के अनुसार उनके नाम नामांतरकरण भी दर्ज हो चुका है। इसलिए वाद वर्णित भूमि में प्रार्थीया की ना तो खातेदारी दर्ज रही है और ना ही प्रार्थीया का कब्जा काश्त है। उक्त तथाकथित वसीयत विधि विरूद्ध व गैर कानूनी होने से अस्वीकार है क्योंकि वाद वर्णित भूमि प्रार्थीया व अप्रार्थीया सं. 1 के पिता देवाराम को अपने पिता स्व. रूपाराम से विरासत (उतराधिकार) में प्राप्त हुई है। जिसमें अप्रार्थीया सं. 1 का उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उसका 1/3 हिस्सा उसके विरासत में प्राप्त हुआ है। वाद वर्णित भूमि स्व. देवाराम की स्व अर्जित सम्पति नहीं थी। स्व. देवाराम के चार पुत्रियां थी जिन्हें प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया जिसके अभाव में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। प्रार्थीया व उसकी बहिन शांति देवी द्वारा एक दावा मु.नं. 382/2002 बउनवान शांति वगै0 बनाम भतेरी देवी आदि पेश करना जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। क्योंकि उक्त वर्णित वाद पेश करना ना तो अप्रार्थीया सं. 1 की जानकारी में है ना ही उक्त वाद की तामील अप्रार्थीया पर हुई है। वैसे भी जब प्रार्थीया अपने उक्त वाद दिनांक 14.01.2003 को निर्णय व डिक्री हो गया था जिसका क्रियान्वयन 12 वर्ष के बाद कानूनन नहीं हो सकता है। इस लिए उक्त वर्णित वाद का अप्रार्थीया सं. 1 से कोई सम्बंध सरोकार नहीं है। ना ही कानूनन उक्त निर्णय व डिक्री का कोई महत्व है।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.09.22 12:31:27 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

वाद वर्णित भूमि में प्रार्थीया का वर्तमान में कही भी कोई कब्जा काश्त नहीं है जबकि अप्रार्थीया सं. 1 का उक्त भूमि में 1/3 भाग पर उसके जन्म से ही लगातार कब्जा काश्त निर्बाध रूप से चालू है जिसे वादिया हड़पना चाहती है जिसके उसे कानूनी अधिकार नहीं है। अमतः अप्रार्थीया सं. 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावे।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकरान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत् 2012 में भूमि गत खसरा नंबर 1107 रकबा 13 बीघा 4 बिस्वा में रूपाराम वल्द देवाराम जाट भिर्र सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। भूमि गत खसरा नंबर 107 से हाल खसरा नंबर 1427 रकबा 2.38 है. निर्मित हुए जिसकी पुष्टि नकल खसरा मिलान क्षेत्रफल से होती है। भू–प्रबन्धक विभाग की कार्यवाही के दौरान बनी जमाबन्दी के खाता सं. 407 खसरा नंबर 1427 रकबा 2.38 है. में रूपाराम वल्द हेमराज कौम जाट सा. भिर्र खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त वादग्रस्त भूमि के खातेदार रूपाराम के देहान्त के पश्चात् उनके विधिक वारिश देवाराम पुत्र रूपाराम कौम जाट सा. भिर्र खातेदार के नाम दर्ज हुई। उसके बाद देवाराम का देहान्त होने पर उनके विधिक वारिशान के नाम जरिये नामांतरकरण संख्या 1344 दिनांक 06.01.03 विरासत से भतेरी देवी शांति देवी व प्रेम देवी पुत्रियांन देवाराम कौम जाट सा. भिर्र की खातेदारी में दर्ज हुई जो पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत् 2058–61 के अवलोकन से साबित है। अर्थात् उक्त वादग्रस्त भूमि विरासत (उत्तराधिकार) में प्राप्त हुई है। उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीया ने अपने हिस्से की भूमि जरिये विक्रय पत्र दिनांक 14.06.2023 से सम्पूर्ण हिस्से का कमला देवी पत्नी मनोज कुमार, सरोज देवी पत्नी रामसिंह, सुमित्रा देवी पत्नी अतर सिंह, सुमन देवी पत्नी महीपाल जाति जाट निवासी भिर्र तहसील बुहाना को बेचान करदी है जिसका वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2075–2078 खाता संख्या 726 में अमल दरामद हो चुका है। प्रार्थीया ने उक्त प्रार्थना पत्र व वाद पत्र में कमला देवी पत्नी मनोज कुमार, सरोज देवी पत्नी रामसिंह, सुमित्रा देवी पत्नी अतर सिंह, सुमन देवी पत्नी महीपाल जाति जाट निवासी भिर्र तहसील बुहाना को पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि प्रकरण [illegible] निस्तारण हेतु ये आवश्यक पक्षकार हैं। इसलिए आवश्यक पक्षकारों के अभाव में [illegible] का उक्त प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। वाद में वर्णित अनुतोष [illegible] साक्ष्य एवं रिकॉर्ड के आधार पर किया जाना उचित होगा। इस प्रकार प्रार्थना पत्र में विचारणीय बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.09.22 12:31:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीया के पक्ष में साबित नहीं होते हैं। अप्रार्थीया सं. 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं हो रहा है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28–08–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.09.22 12:31:27 IST
Reason: SelfAttested